आयोजनेत्तर

संख्या-659/ III (2)/05-23 (बजट)/2005

प्रेषक,

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 6/ जून 2005

विषयः- वर्ष 2005-06 मे सरकारी आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-201/09 बजट/05-06 दिनांक 11.4.05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में सरकारी आवासीय भवनों का अनुरक्षण 29-सामान्य मरम्मत मे प्राविधानित रू0 15500 हजार तथा विशेष मरम्मत के अंतर्गत 25-लघु निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित रूपये 2400 हजार एवं 29-अनुरक्षण हेतु प्राविधानित रूपये 5100 हजार (आयोजनेत्तर) अर्थात कुल रू0 23000 हजार (रू0 दो करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू एवं निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा। कार्यवार आवंटित धनराशि के उपयोग की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी। विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं उसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण देने के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।

3. लोक निर्माण विभाग की दरों पर मरम्मत कार्य के आगणन गठित करने के उपरान्त तदविषयक मानकों के अनुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद ही लिए जायेंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य की पूर्वानुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । किसी भी दशा मे निर्धारित मानक की सीमा से अधिक व्यय नही किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आवंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.06 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत मासिक व्यय का विवरण एवं कार्य की लागत व भौतिक प्रगति का विवरण मासिक रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. इस संबध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या –22 लेखाशीर्षक 2216–आवास–01 सरकारी सिहायशी भवन (मतदेय)–आयोजनेत्तर–700–अन्य आवास–04– सरकारी आवासीय /अनावसीय भवनों का अनुरक्षण –01–सामान्य मरम्मत तथा 02 विशेष मरम्मत के अर्न्तगत संलग्नक मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0संख्या– 364 / वित्त अनुभाग–3 / 05 दिनांक: 20 मई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 659 (1) / III (2) / 05 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल, कुमायू मण्डल पौडी / नैनीताल ।
3– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5 – समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
6– मुख्य अभियन्ता गढवाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि. / पौडी / अल्मोडा ।
7– वित्त अनुभाग–3 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 –659/ III–2/05–23(बजट)/2005 दिनांक 1 जून 2005 का संलग्नक ।

अनुदान संख्या– 22
लेखाशीर्षक– 2216–आवास –04 सरकारी आवासीय /अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (आयोजनेत्तर)
2216–01–700–04–0401 –सामान्य मरम्मत

क्रम संख्या	मद संख्या	आबंटन (हजार रू0 में)
01	29– अनुरक्षण –	15500
	योगः– 0401	15500

(रू0 एक करोड पचपन लाख मात्र)

2. अनुरक्षण 22 लेखाशीर्षक–2216 आवास–04 सरकारी आवासीय /अनावासीय भवनों का अनुरक्षण विशेष मरम्मत ।
2216–01–700–04–0402– विशेष मरम्मत

क्रम संख्या	मद संख्या	आबंटन (हजार रू0 में)
01	25– लघु निर्माण कार्य	2400
02	29– अनुरक्षण	5100
	योगः– 0402	7500

(रू0 पिचहत्तर लाख मात्र)

	महायोगः– 0401, 0402	23000

(रू0 दो करोड तीस लाख मात्र)

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।